छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

अधिसूचना सं0 17/2017 - राज्य कर (दर)

नया रायपुर, दिनांक : 28.06.2017

क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच(85) - राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 9 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिश पर, यह अधिसूचित करती है कि सेवा के निम्नलिखित प्रवर्गों की दशा में, राज्य के भीतर पूर्ति पर कर इलेक्ट्रानिक वाणिज्यिक प्रचालक द्वारा संदत्त किया जाएगा-

(i) रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब और मोटर साइकिल द्वारा यात्रियों के परिवहन के माध्यम के रूप में सेवाएं;

(ii) होटल, सराय, अतिथि गृह, क्लबों, शिविर स्थल या अन्य वाणिज्यिक स्थानों, जो निवासीय या आवासीय प्रयोजनों के लिए हैं, में वास सुविधा देने के रूप में सेवा, सिवाय वहां जहां इलेक्ट्रानिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से ऐसी सेवाओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी है ।

स्पष्टीकरण--इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,--

(क) "रेडियो टैक्सी" से टैक्सी अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत रेडियो कैब है चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो केंद्रीय नियंत्रण कार्यालय के साथ टू-वे रेडियो संपर्क में है और ग्लोबल पोजिसनिंग सिस्टम (जीपीएस) या जनरल पैकेट रेडियो सर्विस (जीपीआरएस) का उपयोग करके ट्रैक किए जाने के लिए समर्थ है ;

(ख) "मैक्सी कैब", "मोटर कैब" और "मोटर साइकिल" का वही अर्थ होगा जो उनका क्रमशः मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (22), खंड (25) और खंड (26) में है ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

A Tripathi

(ए.पी. त्रिपाठी)
विशेष सचिव

Scanned by CamScanner

नया रायपुर, दिनांक : 28.06.2017

क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच(85), दिनांक 28.06.2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

A. Tripathi

(ए.पी. त्रिपाठी)
विशेष सचिव

Scanned by CamScanner

Government of Chhattisgarh
Commercial Tax Department
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

Notification No. 17/2017–State Tax (Rate)

Naya Raipur, dated : 28.06.2017

No. F-10- 43/2017/CT/V (85) - In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 9 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies that in case of the following categories of services, the tax on intra-State supplies shall be paid by the electronic commerce operator –

(i) services by way of transportation of passengers by a radio-taxi, motorcab, maxicab and motor cycle;

(ii) services by way of providing accommodation in hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes, except where the person supplying such service through electronic commerce operator is liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the said Chhattisgarh Goods and Services Tax Act.

Explanation.- For the purposes of this notification,-

(a) "radio taxi" means a taxi including a radio cab, by whatever name called, which is in two-way radio communication with a central control office and is enabled for tracking using Global Positioning System (GPS) or General Packet Radio Service (GPRS);

(b) "maxicab", "motorcab" and "motor cycle" shall have the same meanings as assigned to them respectively in clauses (22), (25) and (26) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988).

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,

A. Tripathi

(A.P. Tripathi)
Special Secretary

Scanned by CamScanner